

कार्यालय नगर पालिका परिषद्, ठिकरी जिला बड़वानी (म.प्र.)

क्रमांक / 2263 / स्था. / न.पा. / 2024

ठिकरी, दिनांक :- 24 / 07 / 2024

विज्ञापन

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर की W.P. No. याचिका क्रमांक 7275/2019 में पारित आदेश दिनांक 30.01.2024, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 07-19/2019/आ.प्र./1 दिनांक 14.02.2024, म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के पत्र क्रमांक/676/16017123/2023/18-1 दिनांक 16.02.2023, संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र., भोपाल के पत्र क्रमांक/स्था/एक/201/प्र.शि./2024/3780 भोपाल दिनांक 26.02.2024 तथा मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, के पत्र क्रमांक एफ 8-2/2013/आ.प्र./एक. भोपाल दिनांक 04.01.2024 एवं प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक/2461/1607123/2023/18-1 भोपाल दिनांक 15 जुलाई, 2024 तथा अन्य पत्रों में दिये गये निर्देशानुसार विशेष भर्ती अभियान के तहत दिव्यांगजनों के लिए निम्नानुसार नियमित एवं संविदा के आरक्षित पद / पदों की पूर्ति वॉक-इन-इंटरव्यू के माध्यम से की जाना है। इस हेतु निर्धारित योग्यता एवं आर्हता रखने वाले अभ्यर्थी नीचे दर्शाये गये निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र भर कर दिनांक 24 जुलाई 2024 से 13 अगस्त 2024 तक कार्यालयीन समय प्रातः 10:00 से 6:00 सांयकाल तक आवेदन-पत्र प्रेषित करें। निर्धारित समयावधि में आवेदन पत्र प्राप्त न होने की स्थिति में उन पर विचार नहीं किया जायेगा। डाक के माध्यम से विलंब से प्राप्त आवेदन पत्र के लिए नगर परिषद्, ठिकरी उत्तरदायी नहीं होगा। दिव्यांगजनों हेतु आरक्षित रिक्त पदों का विवरण, वेतनमान, निर्धारित योग्यता की निम्नानुसार है

क्रं.	पद का नाम	पद की श्रेणी	वेतनमान	दिव्यांगजन के लिए आरक्षित वर्गवार रिक्तियां				निर्धारित योग्यता	वॉक-इन-इंटरव्यू हेतु निर्धारित तिथि
				दृष्टि बाधित और कम दृष्टि	बहरे ओर कम सुनने वाले	लोको मोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित हैं, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बोनापन, एसिड अटेक पीडित, मस्कूलर डिस्ट्राफी	आंटीज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता		
1	2			5	6	7	8	9	10
1	सफाई संरक्षक	चतुर्थ	15500-49000 Leval-1	1	—	—	—	5 वी कक्षा उत्तीर्ण	पात्र अभ्यर्थियों को वॉक-इन-इंटरव्यू की तिथि एवं समय की सूचना पृथक से दी जावेगी।

मुख्य शर्तें:-

- आवेदक को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- समस्त प्रमाण-पत्रों को सक्षम अधिकारी अथवा स्वयं सत्यापित करने उपरांत प्रमाण पत्रों की प्रति संलग्न प्रेषित की जावें।
- मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक सी 3-38/16/1/3 भोपाल, दिनांक 04 जुलाई 2019 अनुसार अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष, आरक्षित वर्ग- अनु.जा., अनु. जनजाति, अन्यपिछड़ा वर्ग, शासकीय/निगम/मण्डल/स्वाशासी संस्था कर्मचारियों/नगर सैनिक/निःशक्तजन/महिलाओ (अनारक्षित/ आरक्षित) आदि केलिए 18 से 45 (अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट) होगी।
- मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक सी-3-8/2016/3-एक भोपाल दिनांक 12 मई 2017 एवं परिपत्र क्रमांक सी 3-38/16/1/3 भोपाल, दिनांक 04 जुलाई 2019 अनुसार के अनुसार आवेदक का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
- आवेदक को वॉक-इन-इंटरव्यू / साक्षात्कार के समय सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति साथ लाना अनिवार्य है।
- दिव्यांगता का डिजिटल प्रमाण पत्र की अनिवार्यता दिनांक 21-06-2021 से लागु की गई है। अतः उक्त तिथि के पूर्व जारी मेन्यूअल दिव्यांगता प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।
- डिजिटल जाति मूल निवासी प्रमाण-पत्र / जाति प्रमाण-पत्र एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया ही मान्य होगा।
- वॉक-इन-इंटरव्यू के लिए आने वाले आवेदकों को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- अधूरे, अस्पष्ट एवं अपठनीय आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।
- भर्ती से संबंधित जानकारी एवं शर्तें कार्यालयीन समय में निकाय से प्राप्त की जा सकती है।
- यह कि जिस आवेदक का विवाह निर्धारित न्यूनतम आयु (पुरुष वर्ग के लिए 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिए 18 वर्ष) के पूर्व हो गया हो उसे उक्त पदों के लिए आयोग्य माना जायेगा।
- यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वह आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त आर्हताओं और शर्तों को आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि पूर्ण करता है।
- आवेदन-पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण, असत्य या त्रुटिपूर्ण पायी जाती है अथवा वांछित प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं किया जाता है, तो उसके आधार पर आवेदक को पूर्व सूचना दिये बिना उसका आवेदन पत्र किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है।
- सीधी / बैकालॉग के पदों पर आवेदक राष्ट्रीय पेंशन योजना, 2005 अंतर्गत नियुक्ति होंगे।
- मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 30.06.2014 के अनुसार वर्गवार आरक्षण न करते हुए दिव्यांगजनों की श्रेणी के आधार पर आरक्षण किये जाने से विशेष पिछड़ी जनजातियों (सहारिया / सहारिया, भारिया एवं बैगा) महिलाओं एवं भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के आवेदकों को पृथक से आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा। ऐसे समस्त आवेदन पत्र जो अपूर्ण हैं एवं विहित प्रारूप में नहीं हैं वे निरस्त कर दिये जायेंगे।
- अभिलेखों को कूटरचित किया हो या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किये गये हो जो रूपान्तरित किये गये हो वे भी निरस्त कर दिए जाएंगे। साथ ही ऐसे विवरण दिये गए हो, जिसमें ऐसी तात्विक जानकारी छिपाई गई हो, जो चयन लिए आवश्यक हो, तो ऐसे आवेदन पत्र भी निरस्त कर दिए जाएंगे।
- दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध चयनित होने वाले अभ्यर्थियों का उनके लिये जिला स्तर पर गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल परीक्षण कराकर यह सुनिश्चित होने के पश्चात ही कि वे वास्तव में विकलांग है यह जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित किये जाने के उपरांत ही नियुक्ति आदेश जारी किये जायेंगे।
- यह कि दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध चयनित होने वाले अभ्यर्थियों के निःशक्तता का प्रतिशत 40 प्रतिशत या अधिक पाए जाने पर ही कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा।

19. शासन के आदेश के अनुसार, कोई भी अभ्यर्थी जिसके 02 से अधिक जीवत सन्ताने हैं, जिसमे से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ है तो ऐसा अभ्यर्थी नियुक्त हेतु पात्र नहीं होगा, लेकिन यदि एक बच्चा जीवित है और बाद के प्रसव में दो या अधिक सन्ताने जन्म लेती है तो उसे अयोग्य नहीं माना जावेगा।
20. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी, 3-13/2019/3/ एक भोपाल, दिनांक 12 दिसंबर 2019 के अनुसार सीधी भर्ती के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर चयन होने पर अभ्यर्थी 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त होगा। परिवीक्षा अवधि में अभ्यर्थी को प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में दी जायेगी।
21. दिव्यांगजनों हेतु चिन्हांकित संविदा के पदों पर भर्ती संबंधी कार्यवाही मध्यप्रदेश नगरपालिका संविदा (अनुबंध तथा सेवा की शर्तें) सेवा, नियम 2021 में विहित प्रावधानानुसार की जावेंगी।
22. नियुक्ति से संबंधित सभी अधिकार नियुक्ति प्राधिकारी (मुख्य नगरपालिका अधिकारी ठीकरी) के पास सुरक्षित होंगे।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद्, ठीकरी
जिला बड़वानी म.प्र.

**आवेदन पत्र का प्रारूप
(केवल दिव्यांगजन)**

नवीनपासपोर्ट साईज
की स्वयं का हस्तक्षर
युक्त फोटो चस्पा करे

प्रति,

मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद्, ठीकरी
जिला बड़वानी (म.प्र.)

पद का नाम :- पद हेतु आवेदन पत्र ।

1. आवेदक का नाम :
2. पिता/पति का नाम :
3. माता का नाम :
4. दिव्यांगता की श्रेणी : VH ☐ EH ☐ LD ☐ MD ☐ ल टिक करे
5. श्रेणी : अ.ना. ☐ अ.जा. ☐ अ.ज.जा. ☐ अ.पि.व. ☐ केवल टिक करे
6. लिंग : पुरुष ☐ महिला ☐ अन्य ☐ केवल टिक करे
7. धर्म : हिन्दु ☐ मुस्लिम ☐ सिक्ख ☐ बौद्ध ☐ जैन ☐ पारसी ☐ ईसाई ☐ अन्य ☐
8. जन्म दिनांक :
9. वैवाहिक स्थिति : हाँ ☐ नहीं ☐
10. राष्ट्रियता :
11. उम्र () : वर्ष माह दिन
12. वर्तमान पता :-
13. स्थाई पता :-
14. मोबाईल नम्बर : ई-मेल आई.डी.
15. उम्मीदवार दिव्यांगता की श्रेणी में होने से मेडिकल बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें ।
16. उम्मीदवार की दिव्यांगता का प्रतिशत :-
01) दृष्टि बाधित ओर कम दृष्टि :-
02) बहरे ओर कम सुनने वाले :-
03) लोको मोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित हैं, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बोनोपन, एसिड अटेक पीडित, मस्कूलर डिस्ट्राफी :-
04) आटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी ओर मानसिक बीमारी ओर बहुविकलांगता -
17. प्रोफेशनल एवं शैक्षणिक योग्यता :-

प्रोफेशनल/शैक्षणिक योग्यता	बोर्ड/विश्वविद्यालय	उत्तीर्ण का वर्ष	विषय	प्रतिशत

18. अनुभव :-

सत्यापन

मैं आत्मज श्री निवासी एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन-पत्र में मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही एवं पूर्ण हैं । यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी में असत्यता पाई जाती है तो नियुक्ति के किसी भी चरण में या नियुक्ति के बाद मुझे सेवा से अयोग्य माना जाएगा जिस के लिए पेनल द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी ।

स्थान :
दिनांक :

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर